07-8-2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुमानाराम पुत्र श्री विसनाराम मेघवाल, निवासी– सत्तो, तहसील– फतेहगढ़, जिला– जैसलमेर (राज.) के अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 2, 4 व 5 क्रमशः सुखी देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार कोली, निवासी– सुलीवा, दिनेश कुमार पुत्र श्री करमीराम कोली, निवासी– सुलीवा एवं प्रभुराम पुत्र करमी जी कोली, निवासी– सुलीवा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 7 (सात) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 6 क्रमशः कीकीदेवी पुत्री शान्तिराम कोली, निवासी– सुलीवा एवं उजम देवी पत्नी श्री रमेश राम बासफोड, निवासी– सोनानी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया द्वारा दिनांक 04–6–2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4, 7 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी

.....लगातार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** राजस्व अपील संख्याः 01/2025 अनवान गुमानाराम बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	संख्या 1, 2, 4 व 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के पारित आदेश को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 को सम्मन की तामिल के बावजूद उपस्थित नही होने से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09–5–2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया था। प्रकरण में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह जाहिर किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के पारित आदेश को अपास्त करने में अपीलार्थी को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 के उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 4, 7 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पारित आदेश दिनांक 09–5–2025 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में अपीलार्थी गुमानाराम पुत्र श्री विसनाराम मेघवाल, निवासी– सत्तो, तहसील– फतेहगढ़, जिला– जैसलमेर (राज.) तथा प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 क्रमशः लक्ष्मी देवी पत्नी श्री जगमालराम कोली, निवासी– सुलीवा, सुखी देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार कोली, निवासी– सुलीवा, दिनेश कुमार पुत्र श्री करमीराम कोली, निवासी– सुलीवा एवं प्रभुराम पुत्र करमी जी कोली, निवासी– सुलीवा, तहसील– रेवदर ने इस न्यायालय में दिनांक 18–7–2025 को जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही के खाता संख्या 275, खसरा संख्या 480 रकबा 18–02 बीघा की कृषि भूमि का हम अप्रार्थी लक्ष्मी देवी, सुकी देवी, दिनेश कुमार तथा प्रभूराम ने मिलकर आपसी बंटवाडा किया था, जिसमें प्रार्थी गुमानाराम का भी हक हिस्सा था। राजस्व रेकर्ड में तत्समय हमारा नाम दर्ज होने से हम पक्षकारान ने आपसी सहमति से बंटवाडा निष्पादित करवाया था तथा हम पक्षकारान अनपढ होने से हमारे हक हिस्सा के संबंध में जानकारी नहीं थी। हम सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति से आज रोज लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर इस विवादित बंटवाडे को निरस्त करवाना चाहते है तथा न्यायालय द्वारा इस आपसी सहमति बंटवाडे को निरस्त किया जाता है तो हम उपरोक्त वर्णित पक्षकारान को कोई उजर आपत्ति नहीं है तथा ये राजीनामा हम पक्षकारान ने आपसी व स्वतंत्र सहमति से बिना किसी भय व दबाव के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, इसलिये इस राजीनामा को स्वीकार कर आपसी बंटवाडनामा निरस्त करने का आदेश पारित किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के खाता संख्या 275, खसरा संख्या 480 रकबा 18–02 बीघा किस्म ब–3 भूमि के सहखातेदारों की आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव को आदेश क्रमांकःराजस्व/2024/288 दिनांक 30–7–2024 से स्वीकृत किया जाकर पटवारी हल्का रोहुआ को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर नक्शें में तरमीम करने हेतु आदेशित किया गया है। उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा स्वीकृत उक्त आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/288 दिनांक 30–7–2024 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी गुमानाराम पुत्र श्री विसनाराम मेघवाल, निवासी– सत्तो, ...लगातार	नन

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** राजस्व अपील संख्याः 01/2025 अनवान गुमानाराम बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य	नंबर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	तहसील– फतेहगढ़, जिला– जैसलमेर द्वारा यह अपील प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध मुख्यतः इन कथनों के आधार पर प्रस्तुत की गई है कि "अपीलार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त, हक अधिकार की कृषि आराजी ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ, भू.अभि.नि. मगरीवाड़,I तहसील रेवदर, जिला– सिरोही में वर्तमान खाता संख्या 275 खसरा संख्या 480 रकबा 18–02 बीघा आई हुई है। उक्त खसरा संख्या 480 की आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) का 60/362 व 2/3 हक हिस्सा था जिसमें से प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) का 2/3 हक हिस्सा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13–07–2021 को पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 658/2021 के जरिये खरीदकर अपना कब्जा हक अधिकार स्थापित किया था व उक्त आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) का शेष 60/362 हक हिस्सा दिनांक 18–01–2022 को पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 112/2022 के जरिये खरीद किया था। इस प्रकार, उक्त खसरा संख्या 480 में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) लक्ष्मी देवी के हक हिस्से की सम्पूर्ण आराजी 15–01 बीघा को अपीलार्थी ने पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये खरीद करने के बाद उक्त आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचता था, परन्तु जब अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) का उक्त हक हिस्सा खरीदा, उस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) द्वारा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मण्डार व आईडीबीआई शाखा सिरोही से लोन लिया होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) का हिस्सा बैंक के पक्ष में रहन था जिसका इन्द्राज पंजीकृत विक्रय विलेख में उप पंजीयक द्वारा किया गया है इसलिए अपीलार्थी द्वारा खरीद की गई आराजी का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज नहीं हो सका। प्रत्यर्थी संख्या 2 सुखीदेवी को उक्त आराजी में प्राप्त सम्पूर्ण हक हिस्सा दिनांक 25–05–2017 को दान के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) को सुपूर्द कर दिया था जिसका नामान्तरकरण संख्या 1997 राजस्व रेकर्ड में दिनांक 25–05–2017 को इन्द्राज किया गया था। इस प्रकार उक्त आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 2 (सुखीबाई) का वर्तमान में कोई हक हिस्सा नहीं है। उक्त कृषि आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 5 प्रभुराम का 12/108 हक हिस्सा अर्थात् 2–01 बीघा था इस हक हिस्से को प्रत्यर्थी संख्या 5 प्रभुराम द्वारा दिनांक 09–07–2021 को पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 645/2021 के जरिये अपीलार्थी को विक्रय कर उक्त आराजी का कब्जा अपीलार्थी को प्रदान किया था, इस विक्रय विलेख का अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 5 प्रभुराम के मध्य निष्पादन करते समय प्रत्यर्थी संख्या 2 सुखी देवी का नाम भी भूलवश दर्ज हुआ था व प्रत्यर्थी संख्या 5 प्रभुराम का हिस्सा भी गलत दर्ज हुआ था जिसको प्रत्यर्थी संख्या 2 सुखीदेवी, प्रत्यर्थी संख्या 5 प्रभुराम व अपीलार्थी ने दिनांक 18–01–2022 को संशोधित डीड क्रमांक 113/2022 के जरिये शुद्धिकरण करवाकर इसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, मण्डार मे किया था लेकिन तत्समय प्रत्यर्थी संख्या 5 प्रभुराम का हक हिस्सा आईडीबीआई शाखा सिरोही के पक्ष में रहने होने के कारण इस विक्रय विलेख का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नहीं हो सका परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 5 प्रभुराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपीलार्थी को विक्रय करने के बाद खसरा संख्या 480 की आराजी में अप्रार्थी संख्या 5 का भी कोई हक हिस्सा नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 5 क्रमशः लक्ष्मीदेवी व प्रभुराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपीलार्थी को विक्रय किये जाने के बाद अपीलार्थी के हिस्से में 17–01 बीघा आराजी प्राप्त हुई थी व शेष .....लगातार	नन

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **राजस्व अपील संख्याः 01/2025** **अनवान गुमानाराम बनाम लक्ष्मी देवी व अन्य**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

आराजी प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः कीकीदेवी व दिनेश कुमार के हिस्से में प्राप्त हुई थी परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 4 दिनेश कुमार ने दिनांक 22–03–2023 को उक्त आराजी में हक अधिक हक हिस्सा होना बताते हुए प्रत्यर्थी संख्या 6 उजमदेवी के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन करवा दिया। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी 18–02 बीघा में से 17–01 बीघा आराजी खरीद कर अपना कब्जा हक अधिकार स्थापित किया था लेकिन उक्त आराजी अलग–अलग बैंको के पक्ष में गिरवी होने के कारण अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सका। इस तथ्य का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण द्वारा आपस में मिलीभगत व षड्यन्त्र कर खसरा संख्या 480 की सम्पूर्ण आराजी का आपस में आपसी सहमति से दिनांक 30–07–2024 को बंटवाड करवाकर अपीलार्थी के हक हिस्से की आराजी को हड़प लिया तथा इस आपसी बंटवारा में प्रत्यर्थी संख्या 1 लक्ष्मीदेवी के हिस्से में 5 बीघा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के हिस्से में 8–18 बीघा व प्रत्यर्थी संख्या 6 के हिस्से में 2 बीघा व प्रत्यर्थी संख्या 5 के हक हिस्से में 2 बीघा आराजी होना दर्शित कर इसका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, जबकि इस आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, व 5 का कोई हक हिस्सा नहीं था व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के हक हिस्से में 8–18 बीघा आराजी व प्रत्यर्थी संख्या 6 के हिस्से में 2 बीघा आराजी दर्शित की परन्तु खसरा संख्या 480 की आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 व 6 के हक हिस्से में कभी इतनी आराजी नहीं रही है इसके बावजूद प्रत्यर्थीगण ने आपस में मिलीभगत कर राजस्व अधिकारियों को गुमराह कर उक्त बंटवाड प्रस्ताव स्वीकार करवाया है।''

अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित उक्त कथनों के समर्थन में उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 658/2021 दिनांक 13–7–2021 व 112/2022 दिनांक 18–01–2022 तथा पंजीकृत विक्रय संख्या 645/2021 दिनांक 09–7–2021 व संशोधित डीड संख्या 113/2022 दिनांक 18–01–2022 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जो उप पंजीयक कार्यालय, मण्डार में पंजीकृत है।

प्रकरण में अपीलार्थी गुमानाराम तथा प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18–7–2.205 में उल्लेख किया है कि ''ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ, तहसील रेवदर के खाता संख्या 275, खसरा संख्या 480 रकबा 18–02 बीघा की कृषि आराजी का हम अप्रार्थी लक्ष्मी देवी, सुकी देवी, प्रभूराम तथा उजम देवी ने मिलकर आपसी बंटवाडा किया था, जिसमें प्रार्थी गुमानाराम का भी हक हिस्सा था। राजस्व रेकर्ड में तत्समय हमारा नाम दर्ज होने से हम पक्षकारान ने आपसी सहमति से बंटवाडा निष्पादित करवाया था तथा हम पक्षकारान अनपढ होने से हमारे हक हिस्सा के संबंध में जानकारी नहीं थी। हम सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति से आज रोज लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर इस विवादित बंटवाडे को निरस्त करवाना चाहते है तथा न्यायालय द्वारा इस आपसी सहमति बंटवाडे को निरस्त किया जाता है तो हम उक्त वर्णित पक्षकारान को कोई उजर आपत्ति नहीं है तथा ये राजीनामा हम पक्षकारान ने आपसी व स्वतंत्र सहमति से बिना किसी भय व दबाव के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, इसलिये इस राजीनामा को स्वीकार कर आपसी बंटवाडनामा निरस्त करने का आदेश पारित किया जावे।''

.....लगातार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्याः 01/2025 अनवान गुमानाराम बनाम लक्ष्मी देवी व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्रकरण में अपीलार्थी गुमानाराम व प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18–7–2025 की तस्दीक हेतु आज दिनांक 07–8–2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2, 4 व 5 क्रमशः सुखीदेवी पत्नी दिनेश कुमार कोली, निवासी– सुलीवा, दिनेश पुत्र करमीराम कोली, निवासी– सुलीवा व प्रभुराम पुत्र करमी जी कोली, निवासी– सुलीवा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा करना स्वीकार किया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 (लक्ष्मी देवी) की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (लक्ष्मी देवी) ने भी राजीनामा स्वीकार कर उक्त राजीनामा पर अपनी अंगूष्ठ निशानी अंकित की है, जिसकी उनके स्वयं द्वारा तस्दीक की गई है। ऐसी स्थिति में, इस अपील प्रकरण में अपीलार्थी गुमानाराम व प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के जरिये तथा अपीलार्थी गुमानाराम द्वारा अपील में अंकित कथनों व इन कथनों के समर्थन में प्रस्तुत उक्त पंजीकृत विक्रय विलेखों को दृष्टिगत रखते हुए राजीनामा के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ, तहसील– रेवदर के खाता संख्या 275, खसरा संख्या 480 रकबा 18–02 बीघा किस्म ब–3 भूमि का स्वीकृत आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/288 दिनांक 30–7–2024 को निरस्त करते हुए प्रकरण उप तहसीलदार, मण्ड़ार को विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ, तहसील– रेवदर के खाता संख्या 275, खसरा संख्या 480 रकबा 18–02 बीघा भूमि का स्वीकृत आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/288 दिनांक 30–7–2024 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उप तहसीलदार, मण्ड़ार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त विक्रय विलेखों व राजस्व रेकर्ड की जांच करके विधि अनुरुप कार्यवाही करे। साथ ही, यदि उक्त कृषि भूमि के खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से पुनः बंटवाड प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते है तो उसकी तस्दीक करके विधि अनुरुप कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)